

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3261
08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्रसव-पश्चात् अवसाद के मामले

3261. श्री शफी परम्बिल:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रसव-पश्चात् अवसाद से पीड़ित महिलाओं का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार देश में माताओं की आत्महत्या और प्रसव-पश्चात् अवसाद के बीच संबंध से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार ने प्रसव-पश्चात् अवसाद मामलों को नियंत्रित करने के लिए कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): देश में प्रसवोत्तर अवसाद से ग्रस्त महिलाओं के विवरण केंद्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं। हालाँकि, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस), बेंगलुरु द्वारा वर्ष 2016 में देश के 12 राज्यों में किए गए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएमएचएस) के अनुसार, 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं में अवसादग्रस्तता संबंधी विकारों की व्यापकता लगभग 5.72% है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, सहायक नर्स एवं दाई (एएनएम) और मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) माताओं के प्रसवोत्तर स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न पहलुओं, जिसमें गृह दौरों के दौरान मानसिक स्वास्थ्य की जांच भी शामिल है, का नियमित रूप से आकलन करती हैं।

किसी माँ को स्वास्थ्य सेवा केंद्र से छुट्टी देने के बाद सहायक नर्स एवं दाई (एएनएम) और सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) छह बार गृह दौरे करती हैं, ताकि प्रसवोत्तर अवसाद की जाँच सहित व्यापक रूप से प्रसवोत्तर देखभाल सुनिश्चित की जा सके। इस जाँच में लक्षणों की पहचान करना और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएमए) और/या विस्तारित-पीएमएसएमए के अंतर्गत माँ को उचित स्वास्थ्य सेवा केंद्र में रेफर करना शामिल है। प्रसवोत्तर देखभाल योजना के अनुकूलन के अंतर्गत, आशाकर्मियों को समयबद्ध प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत बनाने के लिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) का कार्यान्वयन किया है, जिसमें प्रसवोत्तर माताएँ भी शामिल हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को 767 जिलों में कार्यान्वित करने हेतु मंजूरी दी गई है, जिसके लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्तर पर जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, बाह्य रोगी सेवाएँ, मूल्यांकन, परामर्श/मनो-सामाजिक हस्तक्षेप, गंभीर मानसिक विकारों वाले व्यक्तियों के लिए निरंतर देखभाल और सहायता, दवाएँ, आउटरीच सेवाएँ, एम्बुलेंस सेवाएँ आदि शामिल हैं। उपरोक्त सेवाओं के अतिरिक्त, जिला स्तर पर 10 विस्तरों वाली आंतरिक रोगी सुविधा का प्रावधान है।

सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी अनेक कदम उठा रही है। सरकार ने 1.77 लाख से अधिक उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) का उन्नयन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के रूप में किया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी शामिल किया गया है। विभिन्न संवर्गों के लिए मानसिक, तंत्रिका संबंधी और नशीले पदार्थ सेवन संबंधी विकारों (एमएनएस) से संबंधित संचालन दिशानिर्देश और प्रशिक्षण पुस्तिकाएं तैयार कर आयुष्मान भारत के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को जारी की गई हैं।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) के विशिष्ट देखभाल घटक के अंतर्गत, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में स्नातकोत्तर विभागों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ विशिष्ट स्तर की उपचार सुविधाएँ प्रदान करने के लिए 25 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में 47 स्नातकोत्तर विभागों को सुदृढ़ करने के लिए 19 सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को भी सहायता प्रदान की है।

देश में 47 सरकारी मानसिक अस्पताल हैं, जिनमें 3 केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान शामिल हैं, जैसे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर, असम और केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची। सभी एम्स में भी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हैं।

उपरोक्त के अलावा, सरकार ने देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक पहुँच को और बेहतर बनाने के लिए 10 अक्टूबर, 2022 को एक "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" शुरू किया है। 31.07.2025 तक की स्थिति के अनुसार, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 53 टेली मानस प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं और टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ शुरू की हैं। हेल्पलाइन नंबर पर लगभग 24 लाख कॉलों का समाधान किया गया है।

सरकार ने 10 अक्टूबर, 2024 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर टेली मानस मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च किया है। टेली-मानस मोबाइल एप्लिकेशन एक व्यापक मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म है जिसे मानसिक स्वास्थ्य से लेकर मानसिक विकारों तक, सभी प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सहायता प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। सरकार ने टेली-मानस के अंतर्गत वीडियो परामर्श सुविधा भी शुरू की है, जो पहले से मौजूद ऑडियो कॉलिंग सुविधा का उन्नत रूप है।
